Date - 12 May 2022

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

- स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) के तहत 'इग्निटिंग यंग माइंड्स, कायाकल्प नदियों' पर मासिक 'विश्वविद्यालय वेबिनार' श्रृंखला का छठा संस्करण।
- इस वेबिनार का विषय 'अपशिष्ट जल प्रबंधन' था।

स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी):

- स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जिसे 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' के रूप में भी जाना जाता है।
- स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत अगस्त 2011 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

उद्देश्य:

- मिशन में मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) की रेट्रोफिटिंग और प्रचार शामिल है और सीवेज प्रवाह की जांच के लिए रिवरफ्रंट निकास बिंदुओं पर प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल अल्पकालिक कदम उठाना शामिल है।
- प्राकृतिक मौसम परिवर्तन में परिवर्तन किए बिना जल प्रवाह की निरंतरता बनाए रखना।
- सतही अपवाह और भूजल को बढ़ाना और बनाए रखना।
- क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पतियों को बहाल करना और उनका रखरखाव करना।
- गंगा नदी बेसिन की जलीय जैव विविधता के साथ-साथ तटीय जैव विविधता को संरक्षित और पुनर्जीवित करना।
- नदी संरक्षण, कायाकल्प और प्रबंधन की प्रक्रिया में जनभागीदारी की अनुमति देना।

संबंधित पहल:

Yojna IAS

- नमामि गंगे कार्यक्रम: नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे केंद्र सरकार ने जून 2014 में 'फ्लैगशिप प्रोग्राम' के रूप में मंजूरी दी थी, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
- गंगा कार्य योजना: यह पहली नदी कार्य योजना थी जिसे 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य जल भराव, डायवर्जन और घरेलू सीवेज उपचार के माध्यम से पानी की गुणवत्ता में सुधार करना और जहरीले और औद्योगिक रसायनों को रोकना था। अपशिष्ट (पहचानी गई प्रदूषणकारी इकाइयों से) नदी में प्रवेश करने से।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना गंगा कार्य योजना का विस्तार है। इसका उद्देश्य गंगा एक्शन प्लान के फेज-2 के तहत गंगा नदी को साफ करना है।
- राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण **(NRGBA):** इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-3 के तहत किया गया था।
- गंगा नदी को 2008 में भारत की 'राष्ट्रीय नदी' घोषित किया गया था।
- स्वच्छ गंगा कोष: इसका गठन वर्ष 2014 में गंगा की सफाई, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिए किया गया था।
- भुवन-गंगा वेब ऐप: यह गंगा नदी में प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- कचरा निस्तारण पर रोक: साल 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा नदी में किसी भी तरह के कचरे के निस्तारण पर रोक लगा दी थी|

गंगा नदी प्रणाली:

- यह उत्तराखंड में गोमुख (3,900 मीटर) के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है।
- भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिले; इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है।
- गंगा उत्तरी मैदानों में हरिद्वार में प्रवेश करती है।
- गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है।
- यमुना और सोन दाहिने किनारे की मुख्य सहायक नदियाँ हैं और बाएँ किनारे की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा हैं।
- यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है और इसका स्रोत यमुनोत्री ग्लेशियर है।
- गंगा सागर द्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

आगे की राह:

- कीचड़ और शोधित पानी का मुद्रीकरण 'अर्थ गंगा' के तहत नमामि गंगे कार्यक्रम के फोकस क्षेत्रों में से एक है, जिसका अर्थ है 'अर्थशास्त्र का पुल' या अर्थव्यवस्था के पुल के माध्यम से लोगों को गंगा से जोड़ना।

Yojna IAS

- इस कार्य में जागरूकता पैदा करने और समुदाय के नेतृत्व वाले प्रयासों की आवश्यकता है। गंगा नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के अलावा हमें नदी के आर्थिक लाभों पर भी ध्यान देना चाहिए।
- नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम के लिए युवा पीढ़ी में सामाजिक और व्यावहारिक बदलाव लाना जरूरी है और यह उचित संवाद से ही लाया जा सकता है|
- वांछित परिवर्तन लाने के लिए सूचना का लक्षित प्रसार किया जाना चाहिए। जरूरत है पीढ़ी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा।

एम -प्राइम प्लेबुक

- हाल ही में नीति आयोग द्वारा एम-प्राइम (प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप-एआईएम-प्राइम) प्लेबुक लॉन्च की गई है।
- एआईएम-प्राइम प्लेबुक का लक्ष्य मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए 12 महीने की अवधि में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से प्रारंभिक चरण के विज्ञान-आधारित, गहन प्रौद्योगिकी विचारों का विपणन करना है।

अटल इनोवेशन मिशन के बारे में:

- अटल नवाचार मिशन (एआईएम) देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक प्रमुख पहल है।

उद्देश्य:

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों और नीतियों का विकास करना, विभिन्न हितधारकों के लिए मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना, जागरूकता पैदा करना और देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए एक छत्र संरचना बनाना।

प्रमुख पहल:

- अटल टिंकरिंग लैब्स: भारतीय स्कूलों में समस्या समाधान मानसिकता विकसित करना।
- अटल इनक्यूबेशन सेंटर: वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप को बढ़ावा देना और इनक्यूबेटर मॉडल में एक नया आयाम जोड़ना।
- अटल न्यू इंडिया चैलेंज: उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों/मंत्रालयों की जरूरतों के अनुरूप बनाना।
- मेंटर इंडिया अभियान: यह मिशन की सभी पहलों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र, कॉरपोरेट्स और संस्थानों के सहयोग से शुरू किया गया एक राष्ट्रीय संरक्षक नेटवर्क है।
- अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर: टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित देश के असेवित क्षेत्रों में समुदाय केंद्रित नवाचार और विचारों को प्रोत्साहित करना।

Yojna IAS

- लघु उद्यमों के लिए अटल अनुसंधान और नवाचार (एआरआईएसई): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

एआईएम-प्राइम:

उद्देश्य:

- 12 महीने की अवधि में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से विज्ञान आधारित गहन प्रौद्योगिकी विचारों को बाजार में बढ़ावा देना।
- गहरी प्रौद्योगिकी मूर्त इंजीनियरिंग नवाचार या वैज्ञानिक प्रगति और खोजों पर आधारित है। गहरी प्रौद्योगिकी को अक्सर इसकी गहन सक्षम शक्ति, इसके द्वारा बनाई जा सकने वाली विविधता और परिवर्तन को उत्प्रेरित करने की क्षमता द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है।

लक्षित इलाका:

- विज्ञान आधारित, ज्ञान-गहन, गहन प्रौद्योगिकी उद्यमिता।

लॉन्चिंग और कार्यान्वयन एजेंसी:

- एआईएम ने इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के साथ सहयोग किया है, जिसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा समर्थित एक गैर-लाभकारी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर वेंचर सेंटर द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

लाभार्थी:

- मजबूत विज्ञान-आधारित गहन तकनीकी व्यावसायिक विचारों के साथ प्रौद्योगिकी विकासकर्ता (प्रारंभिक चरण के डीप टेक स्टार्टअप और वैज्ञानिक/इंजीनियर/प्रैक्टिशनर) ।
- डीप टेक उद्यमियों का समर्थन करने वाले एआईएम वित्त पोषित अटल इनक्यूबेशन केंद्रों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ इनक्यूबेशन प्रबंधक।

महत्त्व:

- कार्यक्रम के लिए चुने गए उम्मीदवारों को एक व्यापक व्याख्यान श्रृंखला, लाइव टीम प्रोजेक्ट, अभ्यास और परियोजना-विशिष्ट सलाह के माध्यम से सीखने की सुविधा प्राप्त होगी।
- उनके पास एक डीप टेक स्टार्टअप प्लेबुक, क्यूरेटेड वीडियो लाइब्रेरी और पीयर-टू-पीयर सीखने के भरपूर अवसर भी होंगे।

Yojna IAS

Swadeep Kumar

Yojna IAS